UPRB010047772023

**न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रायबरेली**

**पीठासीन अधिकारी–** (अमित कुमार पाण्डे), **(उच्चतर न्यायिक सेवा )** – UP06246

**सत्र परीक्षण सं०-1054/2023**

**राज्य बनाम शिवविलास**

**दिनांक- 24-05-2024**

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई।

**प्रार्थनापत्र 12 ख अंतर्गत धारा 227, 228 दं०प्र०सं० का निस्तारण**

1- प्रार्थीगण/अभियुक्त शिवविलास द्वारा प्रार्थनापत्र 12 ख अंतर्गत धारा 227/228 दं०प्र०सं० मय शपथपत्र 13 ख प्रस्तुत करते हुए लगाये गये आरोप से उन्मोचित किये जाने तथा धारा 306 भा०द०सं० के अंतर्गत आरोप तय किये जाने की याचना किया गया है।

2- संक्षेप में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि वह निर्दोष है, उसे मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। विवेचनाधिकारी द्वारा साक्ष्य के अभाव में गलत तरीके से आरोप पत्र अंतर्गत धारा 498-A, 304-B भा०दं०सं० तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम प्रस्तुत किया गया है। घटना की प्रथम सूचना दिनांक 03-04-2023 को उत्तर रेलवे स्टेशन जलालपुर धई जिला रायबरेली द्वारा थानाध्यक्ष गदागंज रायबरेली को दी गयी जिसमें गाड़ी संख्या-04153 जलालपुर धई स्टेशन से चलने के बाद समय 5:00 बजे गाड़ी के लोकोपायलेट तथा गार्ड ने जलालपुर धई स्टेशन में सूचना दिया कि K.M. नं०-92/8 तथा 92/9 पर एक महिला ट्रेन की चपेट में आ गयी है जिससे उसकी मृत्यु हो गयी है। यह K.M. नं० गांव कुम्हारन का पुरवा के पास है। जलालपुर धई से डलमऊ जाने पर यह गांव मिलता है। उक्त सूचना थाना गदागंज रायबरेली में G.D. नं०-8 पर दिनांक 03-08-2023 को समय 05:55 बजे अंकित किया गया। उक्त सूचना के उपरांत गदागंज की पुलिस द्वारा दिनांक 03-04-2023 को मृतका का पंचायतनामा रेलवे लाइन ग्राम कुम्हारन का पुरवा थाना गदागंज जिला रायबरेली समय 08:05 बजे तक तैयार किया गया। उक्त पंचायतनामा में प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य चार व्यक्ति गवाहन हैं। राय पंचान में मृतका की मृत्यु रेलगाड़ी जो कि ऊंचाहार से कानपुर जा रही थी, से टकराकर होना बताया गया है। फिर भी मृत्यु का वास्तविक कारण जानने के लिए शव को पोस्टमोर्टम हेतु भेजा गया। मृतका का पोस्टमोर्टम दिनांक 03-04-2023 को कराया गया है जिसमें ट्रेन दुर्घटना में आई चोटें उल्लखित हैं। घटना की रिपोर्ट दिनांक 05-04-2023 को वादी मुकदमा द्वारा मनगढ़ंत एवं बनावटी तथ्यों पर कानूनी राय मशविरा के उपरांत अंकित करायी गयी है। दौरान विवेचना गवाहन के बयान

अंकित किये गये हैं। G.D. नं०-15 दिनांकित 07-04-2023 के अनुसार अभियुक्त के घर पुलिस के पहुंचने पर अभियुक्त अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठा मिला। समय करीब 07:05 बजे उसे हिरासत पुलिस में लिया गया। विवेचक द्वारा बिचौलिया साक्षी श्रीराम पाल व पंडित नाई तथा स्वतंत्र साक्षियों का बयान अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। सभी साक्षियों द्वारा बताया गया है कि मृतका सुमन को दहेज के लिए कभी प्रताड़ित नहीं किया गया है और शादी के करीब छः माह बाद ही दोनों पति-पत्नी परिवार से अलग होकर रहने लगे थे। साक्षियों द्वारा यह भी बताया गया है कि उन्हें सुना है कि मृतका सुमन का प्रेम सम्बन्ध पड़ोस के रहने वाले शिवम से चल रहा था जिसकी चर्चा लोगों में हो रही थी। इस बात को लेकर घटना के एक दिन पूर्व मृतका सुमन और उसका पति/अभियुक्त शिव विलास के बीच कहासुनी एवं वाद-विवाद हुआ था। सम्भवतः इसी वजह से शिव विलास की औरत सुमन ने ट्रेन से टकराकर आत्महत्या कर लिया है। उपरोक्त परिस्थितियों में संकलित साक्ष्यों के आधार पर धारा 498-A, 304-B भा०दं०सं० एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध नहीं बनता है बल्कि धारा 306 भा०दं०सं० का अपराध सृजित होता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498-A, 304-B भा०दं०सं० एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के स्थान पर धारा 306 भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोप तय कर तदनुसार विचारण किया जाये।

3- सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि दौरान विवेचना इस आशय का पर्याप्त साक्ष्य संकलित किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा दहेज के खातिर मृतका को प्रताड़ित किया गया है और दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी दहेज मृत्यु कारित किया गया है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 498-A, 304-B भा०दं०सं० एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम ही तय कर विचारण किया जाये।

4- मैंने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 03-04-2023 को स्टेशन अधीक्षक जलालपुर धई उत्तर रेलवे द्वारा थानाध्यक्ष गदागंज को लिखित सूचना दी गयी कि गाड़ी संख्या-04153 की चपेट में एक महिला आ गयी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी है। जो गांव कुम्हारन का पुरवा के पास है और जलालपुर धई से डलमऊ जाने पर यह गांव मिलता है। उक्त सूचना पर थाना गदागंज की पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके द्वारा शव का पंचायतनामा किया जाता है और शव को पोस्टमोर्टम हेतु भेजा जाता है। दिनांक 03-04-2023 को ही मृतका सुमन का शव विच्छेदन जिला अस्पताल रायबरेली में किया जाता है जिसमें मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व आयी चोटों की वजह से हुई HAEMERAGE तथा SHOCK बताया गया। तदुपरांत दिनांक 05-04-2023 को मृतका के पिता पिताम्बर द्वारा थाना पर इस आशय की तहरीर दिया गया कि उसने अपनी पुत्री सुमन का विवाह शिव विलास के साथ लगभग पांच वर्ष पूर्व सम्पूर्ण दान-दहेज देकर किया था। विपक्षीगण वादी की पुत्री सुमन को आय दिन दहेज की मांग को लेकर परेशान किया करते थे

और प्रताड़ित कर मारते-पीटते थे। पिता की स्थिति को देखते हुए मृतका सुमन ने यह बात अपने पिता को कभी नहीं बतायी लेकिन कुछ दिनों पूर्व उसने सारी बात अपनी मां को बतायी। दिनांक 03-04-2023 की सुबह लगभग 8:00 बजे सुमन के चाचा को उसकी मृत्यु की सूचना दी गयी। जबकि उसकी मृत्यु रात्रि लगभग 2:00 बजे हो चुकी थी। सुमन की मृत्यु विपक्षीगणों द्वारा की गयी है ऐसी शंका घरवालों को है। जब वादी और उसके घर वाले सुमन की ससुराल पहुंच तब उन्हें पता चला कि सुमन का मृत्यु शरीर घर से लगभग साढ़े आठ किमी० दूर रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ा था। वहां के आसपास के लोगों ने देखा तो सुमन के ससुराल वालों को सूचना दिया तब वे लोग वहां से जाकर सुमन के मृत्यु शरीर को थाना गदागंज ले गये। वादी एवं उसके घर वालों के पहुंचने के पूर्व ही शव को सील कर पंचायतनामा कर लिया गया था। वादी को आस-पड़ोस से पता चला कि बीती रात को ही मृतका के घर पर मारपीट हो रही थी। इस कारण वादी और उसके घर वालों को यकीन है कि उनकी पुत्री की हत्या विपक्षीगण द्वारा ही किया गया है। थाना गदागंज से वादी और उसके घर वालों को भगा दिया गया और उन्हें घाट पर जाने से भी मना कर दिया गया। वादी के छोटे भाई ने अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली को फोन के माध्यम से सूचना दिया तब पुलिस घाट पर पहुंची तब तक लाश आधी जल चुकी थी लेकिन पुलिस ने इसके बावजूद भी एफ०आई०आर० दर्ज करने से मना कर दिया। उक्त तहरीर के आधार पर दिनांक 05-04-2023 को प्रार्थी/अभियुक्त शिव विलास व अन्य के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा 498-A, 304-B भा०दं०सं० एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचना दिनांक 05-04-2023 को प्रारम्भ किया गया। दौरान विवेचना वादी मुकदमा पीताम्बर तथा मृतका की मां प्रेमा देवी का बयान अंकित किया गया जिन्होंने दहेज के खातिर अपनी पुत्री को प्रताड़ित किये जाने और दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी दहेज मृत्यु कारित किये जाने की पुष्टि किया। तदुपरांत मृतक के चाचा गांधी राम का भी बयान अंकित किया गया और उन्होंने भी अभियोजन कथानक का समर्थन किया। साक्षी बाबूलाल द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० में बताया गया कि मृतका का पड़ोस के रहने वाले शिवम से प्रेम सम्बन्ध चल रहा था जिसको लेकर सुमन और उसके पति शिव विलास के बीच घटना के एक दिन पूर्व कहासुनी हुई थी और वाद-विवाद हुआ था। साक्षी कल्लू उर्फ रमेश एवं फूल चंद, पवन कुमार, अमरेश, राजू प्रजापति, संदीप द्वारा अपने बयान में उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि किया गया। इनके अतिरिक्त साक्षी रामिनी, सावित्री, शिवराम, संजीव कुमार, उर्मिला, श्रीमती रामरती, रिशीख कुमार, अमृत लाल, श्रीमती गीता, श्रीमती बबिता प्रजापति, श्रीमती किशन देवी का बयान अंकित किया गया। इन साक्षियों द्वारा इस तथ्य की पुष्टि किया गया कि अभियुक्त राम विलास दान-दहेज आदि के लिए मृतका सुमन को प्रताड़ित करता था और इन्हीं सब बातों को लेकर सुमन और उसके पति शिव विलास के बीच घटना के एक दिन पूर्व वाद-विवाद हुआ था।

6- दौरान विवेचना विवेचक द्वारा कई स्वतंत्र साक्षियों का बयान अंकित किया गया है। सभी साक्षियों द्वारा मृतका सुमन और उसके पति/अभियुक्त शिव विलास के मध्य लड़ाई-झगड़ा व वाद-विवाद होने की पुष्टि किया गया है।

7- इस प्रकार दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतका और उसका पति/प्रार्थी शिव विलास के मध्य मन-मुटाव तथा विवाद था। वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त पर दहेज प्रताड़ना तथा दहेज मृत्यु कारित करने का सीधा आरोप लगाया गया है। न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत होने से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मृतका और अभियुक्त के बीच किस बात को लेकर वाद-विवाद था। संकलित साक्ष्य से यह परिलक्षित होता है कि मृतका की मृत्यु अपने घर से लगभग 8 किमी० दूर संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि यदि बहुत कम साक्ष्य भी उपलब्ध है तो भी वह आरोप तय कर विचारण करे और विचारण उपरांत ही यह निष्कर्ष अभिलिखित करे कि अभियुक्त दोषी है अथवा नहीं। इस स्तर पर न्यायालय को यह नहीं देखना होता है कि जो साक्ष्य संकलित किया गया है उससे प्रत्येक दशा में दोषसिद्धि किया जा सकता है। न्यायालय को मात्र यह देखना होता है कि क्या इतना साक्ष्य है जिसके आधार पर विचारण किया जाना चाहिए। यहां तक कि महज शंका के आधार पर भी आरोप तय कर विचारण किया जाना चाहिए।

विधि व्यवस्था **Anant Prakash Sinha @ Anant Sinha Vs State of Hariyana, 2016(93) ACC 951(SC**) में प्रतिपादित किया गया है कि-

"Charge must be founded on the material, available on record. It can be framed on the basis of the complaint or the FIR or accompanying document or the material brought on record during the course of trial."

विधि व्यवस्था **Palwindar singh Vs Balwindar Singh 2007(65) ACC 399(SC) and State of Delhi Vs Gyandevi and others 2001(42) ACC 39(SC)** में यह प्रतिपादित किया गया है कि-

"At the stage of framing charges, trial court is not to examine and assess in detail the material placed on record by the prosecution nor is the court to consider sufficieny of the materials to establish the offence alleged against the accused persons. Marshalling of facts and appreciation of evidence at the time of framing of charge is not in the domain of the court."

एक अन्य निर्णयज विधि **Superintendent and Remembrancer of legal affair, West Bengal Vs Ani Kumar Bhunja AIR 1980(SC) 52** में अवधारित किया गया है कि-

"The standard of test, proof and judgement which is to be applied finally before finding the accused guilty or otherwise is not exactly to be applied at the stage of section 227 or 228 and sections 239 or 240 crpc.

विधि व्यवस्था **State of Orissa Vs. Debendra Nath Padhi, 2005 (51) ACC 209 (SC) (Three-Judge Bench) And Sajjan Kumar Vs. CBI, (2010) 9 SCC 368** में यह प्रतिपादित किया गया है कि-

"Roving and fishing enquiry at the stage of charges u/s 228 CrPC or discharge of the accused u/s 227 CrPC by the Sessions Judge and by the Magistrate u/s 239 or 240 CrPC is not permissible as it

would amount to a mini-trial at the stage of framing of charges or discharging the accused and against all settled principles of criminal jurisprudence.”

विधि व्यवस्था **State of Maharashtra Vs. Salman Salim Khan, 2004 CrLJ 920 (SC) (Para 12) And Liyaqat Vs. State of UP, 2008 (62) ACC 453 (Allahabad)** में यह प्रतिपादित किया गया है कि-

“Assessment of truthfulness, sufficiency and acceptability of the material produced cannot be done at the time of framing of charges as the same can be done by the court only at the stage of trial.”

विधि व्यवस्था **State Vs Doraiswamy, AIR 2019 SC 1518 एवं State of Tamilnadu Vs N. Suresh Rajan, 2014(84) ACC656(SC)** में यह प्रतिपादित किया गया है कि-

“At the stage of consideration of discharge of accused u/s 227 CrPC or 239 CrPC, court has to proceed with the assumption that the material brought on record by the prosecution is true. Court has to find out from the material whether acts emerging, if taken on their face value, disclose ingredients constituting the alleged offence. Court is not required to go deep into the matter as would be required for conviction. While considering the plea of discharge, court is not permitted to appreciate evidence and act as appellate court.”

विधि व्यवस्था **Dinesh Tiwari Vs. State of UP, 2014 (86) ACC 872(SC), Amit Kapoor Vs. Ramesh Chander, (2012) 9 SCC 460** में यह प्रतिपादित किया गया है कि-

“Charge can be framed even on the basis of strong suspicion founded upon materials before the court which leads the court to form a presumptive opinion as to the existence of the factual ingredients constituting the offence alleged against the accused.”

8- इस प्रकरण में जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है वादी मुकदमा की तहरीर पर अभियुक्त के विरूद्ध भा०दं०सं० की धारा 498-A, 304-B एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किया गया। मृतक की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। तहरीर के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 498-A, 304-B भा०दं०सं० एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का गठन होता है। विवेचक द्वारा भी दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण/अभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोप साबित पाते हुए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9- उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त वर्णित विधि व्यवस्थाओं के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि प्रार्थीगण/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 498-A, 304-B भा०दं०सं० एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम विरचित किये जाने का पर्याप्त सामग्री पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अं०धारा 227/228 दं०प्र०सं० स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

**आदेश**

प्रार्थनापत्र 12ख अंतर्गत धारा 227/228 दं०प्र०सं० तदनुसार निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते विरचित किये जाने आरोप दिनांक **07-06-2024** को पेश हो। नियत दिनांक पर सभी अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहें।

**दिनांक- 24-05-2024**

**(अमित कुमार पाण्डे)**
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

Digitally signed by Amit Kumar Pande
Date: 2024.05.24 11:10:53 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Raebareli